

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II,
Dated 7th June, 2013 as required under Articles 348 (3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Khokhan

Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 8 of the Punjab Wild birds and Wild Animals Protection Act 1933 was issued by the Punjab Government vide Notification No. 70 GP 53/97 dated 28-02-1954 to declare **Khokhan as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 13.36 sq.km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, intention Notification under Section 18 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued by the Government vide Notification No. FFE-B-F (6)-11/2005 dated 28th July 2010 to include an area of 2.95 sq. km. to the existing on ground area of 19.50 sq. km of Khokhan Wildlife Sanctuary;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 before issuance of final Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 with regard to the proposed rationalization of boundaries of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Khokhan Wildlife Sanctuary, an additional area of 2.95 sq. km is included and 7.51 sq. km area is excluded (comprising 27 villages list attached as Annexure-I) from the existing area on ground i.e. 19.50 sq. km (as against 13.36 sq. km notified area) of Khokhan Wildlife Sanctuary. The total area of 14.94 sq. km (19.50 sq. km + 2.95 sq. km – 7.51 sq. km) shall now constitute the Khokhan Wildlife Sanctuary after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 26A of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 14.94 sq. km as '**Khokhan Wildlife Sanctuary**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment.

The limits of Khokhan Wildlife Sanctuary shall be as under:

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	Constituents i) District ii) Forest Division	Boundaries of Khokhan Wildlife Sanctuary.
1	Khokhan	i) Kullu ii) Kullu WL Division	<p>NORTH: The boundary starts from eastern boundary of Rajgiri PF then boundary moves with northern boundary of Oriban PF upward with Tichi nalla northern boundary of Nagni PF upto point Nagni Dhar above Shanghli.</p> <p>EAST: The boundary starts from Nagni Dhar moves via Survey of India Bench Mark 2594 mtr., 2614 mtr., boundary then moves along with Nagni PF and then Join Dukan RF boundary upto Ganogi.</p> <p>SOUTH: The boundary starts from Dukan RF Ganogi and moves along</p>

			<p>forest boundary Survey of India.B.M. 2010 mtr., 2659 mtr., 2622 mtr., upto Survey of India Bench Mark 2787 mtr. on District boundary of Kullu and Mandi.</p> <p>WEST: The boundary starts from Survey of India.B.M. 2787 mtr., along with the Munjka PF boundary and Niarag RF boundary upto eastern boundary of Rajgiri PF on District boundary of Kullu and Mandi and via 2328 mtr. upto the starting point of northern boundary. .</p>
--	--	--	---

This area is situated within the Geo-coordinates **North** (Lat 31°52'50" Long 77°04'50"), **East** (Lat 31 51'37" Long 77° 06'54"), **South** (Lat 31° 49'44" Long 77° 04' 56"), and **West** (Lat 31° 50'55" Long 77° 03'19") which falls on Survey of India topo sheet No. 53 E/1 scale 1:50:000.

Area of Khokhan Wildlife Sanctuary=14.94 sq. km


By Order

Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.
4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Sr.No.	Name of village
1	Shangli
2	Kawa
3	Kot
4	Pichhali Seri
5	Bandli ra gran
6	Dinnu seri
7	Tehan Seri
8	Subli
9	Deo gran
10	Rohgi
11	Damchyan
12	Nur-gran
13	Kharka
14	Shagarh
15	Bhakhali
16	Chest Dhar
17	Koshui
18	Chesta
19	Tichi
20	Dawari
21	Janahal
22	Shakarh
23	Chowkidhar
24	Chorgran
25	Bhot ra gran
26	Shapaka
27	Dohranala

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II खोखन तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

पंजाब सरकार ने अधिसूचना संख्या: 70 जी.पी. 53/97 तारीख 28-2-1954 द्वारा पंजाब वाइल्ड बर्ड्स एण्ड प्रोटैक्शन ऐक्ट, 1933 की धारा 8 के अधीन 13.36 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र खोखन को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए नं० 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल नं० 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदजर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और सरकार ने अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य के विद्यमान 19.50 वर्ग किलोमीटर भू-क्षेत्र में 2.95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 18(1) के अधीन आशय अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न0 155 (पहले आईए न0 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य में 2.95 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित किया गया है और भू-क्षेत्र पर अर्थात् 19.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (यथा 13.36 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र के स्थान पर) में से 7.51 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र (जिसमें 27 गांव पड़ते हैं की सूची उपाबन्ध-I के अनुसार) को एतद्वारा अभ्यारण्य में से निकाल दिया गया है। युक्तिकरण के पश्चात् अब 14.94 वर्ग किलोमीटर (19.50 वर्ग किलोमीटर + 2.95 वर्ग किलोमीटर-7.51 वर्ग किलोमीटर) के कुल क्षेत्र से खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य गठित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 14.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करती हैं।

खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं
1	खोखन	i) कुल्लू ii) कुल्लू (वन्य जीव) मण्डल	उत्तर: सीमा राजगिरि संरक्षित वन क्षेत्र की पूर्वी सीमा से आरम्भ होती हुई ओरीवन संरक्षित वन क्षेत्र की उत्तरी सीमा के साथ ऊपर की ओर टिच्ची नाला में नागनी संरक्षित वन क्षेत्र की उत्तरी सीमा के साथ-साथ शांगली के ऊपर नागनी धार तक। पूर्व: सीमा नागनी धार के ऊपर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैचमार्क 2594 मीटर, 2614 मीटर से होती हुई नागनी संरक्षित वन क्षेत्र की

			<p>सीमा के साथ और फिर दुकन्न आरक्षित वन क्षेत्र से होती हुई गनोगी तक ।</p> <p>दक्षिण : सीमा दुकन्न आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा के गनोगी से वन सीमा के साथ-साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैचमार्क 2010 मीटर, 2659 मीटर, 2622 मीटर से होती हुई कुल्लू और मण्डी जिला की सीमा के ऊपर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैचमार्क 2787 मीटर तक ।</p> <p>पश्चिम: सीमा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बैचमार्क 2787 मीटर से मुंजका संरक्षित वन क्षेत्र और नियारग आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ राजगिरि संरक्षित वन क्षेत्र की पूर्वी सीमा तक और फिर कुल्लू व मण्डी जिला के साथ 2328 मीटर से होती हुई उत्तरी सीमा के आरम्भ बिन्दु तक ।</p>
--	--	--	---

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश $31^{\circ} 52' 50''$ उत्तर और देशान्तर $77^{\circ} 04' 50''$ पूर्व। पूर्व अक्षांश $31^{\circ} 51' 37''$ उत्तर और देशान्तर $77^{\circ} 06' 54''$ पूर्व । दक्षिण अक्षांश $31^{\circ} 49' 44''$ उत्तर और देशान्तर $77^{\circ} 04' 56''$ पूर्व और पश्चिम अक्षांश $31^{\circ} 50' 55''$ उत्तर और देशान्तर $77^{\circ} 03' 19''$ पूर्व । यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53ई/1, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफल: 14.94 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,


प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2, 7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।


अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

गांव की सूची जो खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य से बाहर किये जाने हैं ।

क्रम संख्या	गांव का नाम
1.	शांगली
2.	कावा
3.	कोट
4.	पिछली सेरी
5.	वदली रा ग्रां
6.	दिनू सेरी
7.	तेहन सेरी
8.	सूवली
9.	दियोग्रां
10.	रोहलगी
11.	धमच्याण
12.	नूर-ग्रां
13.	खारका
14.	शगाह
15.	भाखली
16.	चेष्ट धार
17.	कोशूई
18.	चेष्टा
19.	तीची
20.	डावरी
21.	जनाहल
22.	शकराह
23.	चौकीधार
24.	चारग्रां
25.	भोटा रा ग्रां
26.	सपाका
27.	दोहरानाला